## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES [भर्ती प्रकोष्ठा RECRUITMENT CEL]

).F. 2-24/2019- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 Ansari Nagar, New Delhi-110029 दिनांक/Dated

## कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में चीफ़ फिजियोथेरेफिस्ट। ओक्यूपेसनल थेरेफिस्ट के पद पर पदोन्नति।

Subject:- Promotion to the post of Chief Physiotherapist / Occupational Therapist at the AIIMS, New Delhi.

\*\*\*\*\*

दिनांक 18.02.2020 को चीफ़ फिजियांथेरेफिस्टा ओक्यूपेसनल थेरेफिस्ट के पद हेत् विभागीय पदोन्नित समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरुप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत मिस सुपरिया बाली, सुपेरींडेंट फिजियोथेरेफिस्टा ओक्यूपेसनल थेरेफिस्ट को पदभार ग्रहण करने की तिथि से चीफ फिजियोथेरेफिस्ट। ओक्यूपेसनल थेरेफिस्ट वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -12 (पूर्व संशोधित पी. बी. 3 रू 15600-39100 + ग्रेड पे. रू. 7600/-) पर पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Chief Physiotherapist / Occupational Therapist held on 18.02.2020 and its acceptance by the Competent Authority, Ms. Supriya Bali Supdt. Physiotherapist / Occupational Therapist is promoted to the post of Chief Physiotherapist / Occupational Therapist in Level-12 in the pay matrix (pre-revised PB-3 Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 7600) from the date she assumes the charge of the post of Chief Physiotherapist / Occupational Therapist.

वह चीफ़ फिजियोथेरेफिस्ट। ओक्यूपेसनल थेरेफिस्ट का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई.,बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगी।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI, Jhajjar, and at any other Centre opened by the Institute in future, from the date She assumes the charge to the post of Chief Physiotherapist / Occupational Therapist.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हें आंशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आशवस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22 (1) either from the date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided She has not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

Contd...2...

उनकी सेवा की अन्य शर्ते जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of her service will be the same as are applicable to other employees of the Institute

चीफ़ फिजियोथेरेफिस्टा ओक्यूपेसनन थेरेफिस्ट के पद पर पदोन्नित की सिफ़ारिश एस.एल.पी. (C) No. 30621/2011 और 31288/2017 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील (C) No. 28306/2017 या इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. द्वारा कोई अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Chief Physiotherapist / Occupational Therapist is subject to outcome of the SLP (C) No. 30621/2011 and 31288/2017, connected to appeal (C) No. 28306/2017 in the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

(बी. एस. गिल / B.S. Gill)

सीनियर प्रशासनिक अधिकारी/ Sr. Administrative Officer

मिस सुपरिया बाली, / Ms. Supriya Bali सुपेरींडंट फिजियोथेरेफिस्ट/ ओक्य्पेरानन थेरेफिस्ट / Supdt. Physiotherapist / Occupational Therapist द्वारा/Thr.:- Prof., & Head, Dept. of Orthopedics प्रतिनिधिः

- 1. प्रोफेसर एंड हैड, ओरथों विभाग/Prof., & Head, Dept. of Orthopedics
- 2. स्थापना अन्भाग (डीओ)/Establishment Section (DO)
- 3. लेखा विभाग II/III / Accounts Section, II/III
- 4. संपदा विभाग/ ए.सी.आर सेल / Estate Section/ACR Cell
- 5. सतर्कता विभाग/लीगल सेल/Vigilance Cell/Legal Cell

6. प्रो. इन्चार्ज- कम्पयूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलॉड करें।

Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website

7. डाटा संरक्षण हेतु भर्ती प्रकोष्ठ के संबधित सहायक Dealing Assistant, Recruitment Cell

The Helian of the Land of the